संख्या: **1/207/19**
सूचना प्राप्ति दिनांक: **28/06/2024**
पावती समय: **03:01 PM**

नियम-82 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विषय :- समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में अन्य सुविधा के साथ संचालित कराने के संबंध में।
मंत्री:- श्री मंगल पांडेय
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह(146) , सदस्य

सेवा में:
सचिव

पटना

महोदय,
क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमतौर पर राज्य के सभी प्रखण्ड मुख्यालय पर संचालित है। जिसे जनहित में अपग्रेड कर समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें पूर्व से बहाल सुविधा के साथ 30 बेड का भवन के अलावे अन्य और सुविधा प्राप्त होगी। प्रस्तावित समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए सभी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास पर्याप्त जमीन नहीं रहने के कारण कुछ समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन को प्रखंड मुख्यालय से दूर निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें वर्त्तमान संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो प्रखण्ड मुख्यालय में संचालित है। जिसकी सुविधा समाप्त कर प्रस्तावित नया समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समाहित किया जाएगा। जो उचित नहीं हैं।
अतः जनहित में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसके पास समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नही हैं और जो प्रखण्ड मुख्यालय में संचालित हैं। उसे बहाल रखते हुए प्रस्तावित समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में अन्य सुविधा के साथ संचालित कराने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

भवदीय
श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह(146)
सदस्य
28/06/2024 03:01 PM

यह दस्तावेज़ कंप्यूटर जनित है और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.

कार्यालय प्रयोग हेतु